

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
[भर्ती प्रकोष्ठ]
ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
[RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-8/2018-स्था. (भर्ती)
No.F.2-8/2018-Estt.(RCT)

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
Ansari Nagar, New Delhi-29
Dated/ दिनांक:

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

30 MAY 2019

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में सहायक अभियंता (ए सी एंड आर) के पद पर पदोन्नति ।
Subject:- Promotion to the post of Assistant Engineer (A/C & R) at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 02.05. 2019 को सहायक अभियंता (ए सी एंड आर) के पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति मीटिंग की सिफारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, श्री सुभाष चंद, कनिष्ठ अभियंता (ए सी एंड आर) को पे मेट्रिक्स के लेवल-7 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 + रु.4600/- ग्रेड पे) में सहायक अभियंता (ए सी एंड आर) के पद पर एन सी आई, झज्जर में पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है ।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee for the post of ASSISTANT ENGINEER (A/C & R) in its meeting held on 02nd May, 2019 and its acceptance by the Competent Authority, **Sh. SUBHASH CHAND, Junior Engineer (A/C&R)** is promoted to the post of **ASSISTANT ENGINEER (A/C & R)** in the Level-7 of the Pay Matrix (pre-revised PB-2 Rs. 9300-34800 + GP Rs.4600/-) from the date he assumes the charge of the post of **ASSISTANT ENGINEER (A/C & R)** at NCI, Jhajjar. .

श्री सुभाष चंद, कनिष्ठ अभियंता को सलाह दी जाती है की यदि वह 07 दिनों अंदर में एन. सी. आई., झज्जर में सहायक अभियंता (ए सी एंड आर) के पद पर पदभार ग्रहण करने में असफल होते हैं तो सहायक अभियंता (ए सी एंड आर) के पद पर उनकी पदोन्नति को रद्द/वापस माना जाएगा। डी. ओ. पी.टी. के दिशानिर्देशों के द्वारा यदि कोई उम्मीदवार ऐसे मामलों में निर्धारित अवधि के भीतर पदोन्नति स्वीकार नहीं करता तो पदोन्नति को अस्वीकार करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि या अगली रिक्ति आने तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

Sh. Subhash Chand, Junior Engineer (A/C & R) is advised to join the post of Assistant Engineer (A/C & R) in NCI Jhajjar, within **SEVEN (07)** days failing which the offer of promotion made to him will be treated as cancelled/withdrawn. It is also informed that in terms of DOP&T guidelines, if any candidate refuse to join the new post on promotion within stipulated period in such cases, he will not be considered for promotion for a period of one year from the date of refusal of such promotion or till a next vacancy arise, whichever is later.

वह दिल्ली/नई दिल्ली/ बडसा, झज्जर/एन.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद /एन.सी.आई झज्जर हरियाणा और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भर्तों के हकदार होंगे।

He will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of his status-stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar/NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future.



उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने की तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्ते उन्हें आश्रित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्रित वृत्ति प्रगति योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया।

He is advised to exercise his option for fixation of his pay under FR-22(I) either from the date of his promotion to the post or from the date of drawl of his next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided he has not been granted financial upgradation under ACP/MACP Scheme.

सहायक अभियंता (ए सी एंड आर) के पद पर पदोन्नति की पेशकश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित SLP के परिणाम या इस सम्बन्ध में DOPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Assistant Engineer (A/C & R) is subject to outcome of the SLP pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of his service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

वह दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे। परीक्षा अवधि के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित है जिसमें असफल रहने पर उनकी सेवाएँ किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।

He will be on probation for a period of two years. During the period of probation, he will be required to put in satisfactory service failing which his services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

[भूपिंदर सिंह गिल / BHUPINDER SINGH GILL]
प्रशासनिक अधिकारी/ADMINISTRATIVE OFFICER

श्री सुभाष चंद/Sh.Subhash Chand

कनिष्ठ अभियंता (ए सी एंड आर)/ Junior Engineer (A/C & R)

द्वारा :- अधीक्षक अभियंता एन. सी. आई., झज्जर।

Through : Superintending Engineer (NCI, Jhajjar)

Copy to:-

- 1) Head, NCI, Jhajjar/मुख्य, एन. सी. आई., झज्जर
- 2) Engineering Service Department/अभियंता सेवा अनुभाग
- 3) स्थापना अनुभाग- नि.का / एन. सी. आई., झज्जर/ Establishment Section - D.O./NCI Jhajjar
- 4) Accounts Section II & III/लेखा अनुभाग-II एंड III
- 5) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग / सतर्कता प्रकोष्ठ
General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section / Vigilance Cell
- 6) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ / संरक्षण मिसिल
ACR's Cell / SC/ST Cell/ Guard File
- 7) प्रोफेसर इंचार्ज, कंप्यूटर सुविधा - कृपया इस कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करें
Professor-in-charge Computer Facility - kindly upload the same on the Institute website

Mr. Pawan K. S.
u.a.p.

